कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी जिला –हरदा

Email: dmharda@nic.in, दूरभाष :(07577) 225006

क्रमांक 6135/एस.डब्लू/कोरोना/2021

हरदा दिनांक 23/04/2021

"संशोधित आदेश"

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय के प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक/5866/एस.डब्ल्यू/कोरोना/2021 हरदा दिनांक 15.04.2021 एवं आदेश क्रमांक/5999/एस.डब्ल्यू/कोरोना/2021 हरदा दिनांक 20.04.2021 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जारी किये गये थे।

वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एंव बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मैं **संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला हरदा,** आदेश क्रमांक/5866/एस. डब्ल्यू/कोरोना/2021 हरदा दिनांक 15.04.2021 की कंडिका–01 में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना कर्फ्यू की अवधि दिनांक 26.04.2021 में वृद्धि कर दिनांक 30.04.2021 तक की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेंगे।

चुँकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा शेष आदेश एंव उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 23/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की सील से जारी किया गया, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

(संजय गुप्ता)
कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला– हरदा

क्रमांक 6136/एस.डब्लू/कोरोना/2021

हरदा दिनांक 23/04/2021

प्रतिलिप–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल एवं प्रभारी अधिकारी कोविड जिला हरदा।

Scanned with CamScanner

4. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद ।
5. माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश हरदा ।

की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6. पुलिस अधीक्षक हरदा ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा ।
8. अपर जिला दण्डाधिकारी हरदा ।
9. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला। हरदा।
10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला हरदा ।
11. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, हरदा ।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला हरदा ।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला हरदा ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क हरदा की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला हरदा ।
16. विभाग प्रमुख ——————जिला हरदा ।
17. प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम हरदा की ओर सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
18. थाना प्रभारी, थाना————————————जिला हरदा की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एंव जिला दंण्डाधिकारी
जिला– हरदा

Scanned with CamScanner